संख्या–434(1)/XVI/08/7(31)/08

प्रेषक,

अर्जुन सिंह,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रेशम विकास विभाग
प्रेमनगर, देहरादून

उद्यान एवं रेशम अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 27 मई,2008

विषयः–वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–29 के आयोजनागत पक्ष के राज्य सैक्टर की योजनाओं के बचनबद्ध मदों हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–32 / रेशम / तक0अनु0 / बजट / 2008–09 दिनांक 03 अप्रैल, 2008 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक में विभागीय अनुदान संख्या–29 के आयोजनागत पक्ष में राज्य सैक्टर की चालू योजनाओं के कियान्वयन हेतु प्राविधानित रू0–18260000.00 (रू0 एक करोड़ बयासी लाख साठ हजार मात्र) की बजट व्यवस्था के सापेक्ष **बचनबद्ध मदों में रू0–9060000.00 (रू0 नब्बे लाख साठ हजार मात्र)** की धनराशि **संलग्न विवरणानुसार** व्यय हेतु आपके निर्वतन / आवंटन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित शर्तानुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– इस धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यो के लिये ही किया जायेगा।

2– उक्त व्यय करते समय वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–267/XXVII(1)/2008, दिनांक–27 मार्च, 2008 **(छायाप्रति संलग्न)** में दिये गये दिशा– निर्देशों तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों / निर्देशों एवं बजट मैनुअल के सुसंगत नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

3– किसी भी शासकीय व्यय हेतु भण्डार कय प्रकिया (स्टोर्स पर्चेस रूल्स) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिष्पादन नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 आय व्यय सम्बन्धी नियम शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा,तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर / साफ्टवेयर का कय सूचना प्रौद्योगिकी(I.T.) विभाग के शासनादेशों / दिशा –निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

4– अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग त्रैमास के आधार पर शासन को उपलब्ध करायी जाय, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लों निर्धारित किए जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।

5– निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक के आगणन / पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक तथा वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ आगणनों पर सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय।

6– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

7– व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है, साथ ही किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा।

8– व्यय की सूचना प्रपत्र बी0एम0–13 पर प्रत्येक माह की 20 तारीख तक वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय तथा धनराशि का आहरण / व्यय एकमुश्त न करके आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

.....2 / –

9– योजनावार स्वीकृत धनराशि का व्यय सम्बन्धित योजना के संगत दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही की जायेगी। किसी भी दशा में संगत दिशा–निर्देशों से इतर कार्यवाही नहीं की जायेगी।

10– लघु निर्माण कार्य व अन्य निर्माण कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग की वर्तमान प्रचलित दरों पर ही आगणन गठित करके कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

11– **उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि विभाग के नियंत्रणाधीन सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को तात्कालिकता से अवमुक्त कर दी जाय,ताकि फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।**

12– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 में अनुदान संख्या–29 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–आयोजनागत–119–बागवानी और सब्जियों की फसलें–07 शहतूत की खेती एवं रेशम विकास के अन्तर्गत **संलग्न विवरण** में अंकित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव।

संख्या–434(1)/XVI/08/7(31)/08 ,तददिनांकः

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
2. वित्त अनुभाग–4 / नियोजन अनुभाग,उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय / राज्य योजना आयोग,उत्तराखण्ड।
5. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
6. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी / कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अहमद अली)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या–434(I)/XVI/08/7(31)/2008 दिनांक: 27 मई,2008 का संलग्नक

वर्ष 2008–09 में रेशम विकास विभाग की अनुदान सं.–29 की राज्य सेक्टर की आयोजनागत योजनाओं के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष बचनबद्ध मदों में स्वीकृत की जाने वाली धनराशि का योजनावार/मदवार विवरण।

अनुदान सं0–29

लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–आयोजनागत

119–बागवानी और सब्जियों की फसलें

07–शहतूत की खेती एवं रेशम विकास (क्रमशः)

(धनराशि हजार रू0 में)

क0सं0	योजना/मद	वर्ष 2008–09 हेतु प्राविधानित धनराशि	अवमुक्त की जाने वाली कुल धनराशि
1	0707–चौकी भवनों का निर्माण एवं रिनोवेशन		
	09–विद्युत देय	100	100
	25–लघु निर्माण	1500	1500
	29–अनुरक्षण	5400	5400
	योग :0707–	**7000**	**7000**
2	0708–जैविक रेशम विकास		
	02–मजदूरी	350	350
	26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र	50	50
	31–सामग्री और सम्पूर्ति	550	550
	योग :0708–	**950**	**950**
3	0709–वृक्षारोपण विकास योजना		
	02–मजदूरी	250	250
	31–सामग्री और सम्पूर्ति	500	500
	योग :0709–	**750**	**750**
4	0711–रेशम प्रशिक्षण योजना		
	08–कार्यालय व्यय	40	40
	09–विद्युत देय	30	30
	12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	30	30
	21–छात्रवृत्तियां एवं छात्र वेतन	20	20
	26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र	50	50
	31–सामग्री और सम्पूर्ति	50	50
	44–प्रशिक्षण व्यय	140	140
	योग :0711–	**360**	**360**
	महायोग (क्रमाक 1 से 8 तक)	**9060**	**9060**

(रुपये नब्बे लाख साठ हजार मात्र)

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव